न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—20 / 2025
जी.सी.एम.एस नं.—2025 / 54

मक्खनराम पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 6 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———प्रार्थी

बनाम्

1. रामप्रकाश पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 9 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. रामस्वरूप पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 6 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रामकौर पत्नी तेज बहादुर पुत्री गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी सताईया तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. पंजाब कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) —मृतका—

4/1 कृष्ण माता पंजाब कौर पिता सुरेन्द्र सिंह

4/2 गोगा देवी माता पंजाब कौर पिता सुरेन्द्र सिंह

4/3 राजो देवी माता पंजाब कौर पिता सुरेन्द्र सिंह अकवाम बावरी निवासीगण चक 3 एम एल डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित
1. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांक— 31/10/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यह कि प्रार्थी [illegible] अप्रा[illegible]ण संख्या 01 ता 04 के पिता गुरदयाल सिंह पुत्र केहर सिंह [illegible]ति बावरी निवासी [illegible]. लखियां तहसील करणपुर को बतौर भूमिहीन होने के नाते [illegible] 6 एल एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 के किला नम्बर 01 ता 25 के कुल 24.10 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 22.09.1974 को हुआ था, जिसकी समस्त

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किश्ते गुरदयाल सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी की गई कमाई से खजाना राज में जमा करवा दी थी इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि गुरदयाल सिह की स्व0 अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है। उक्त कृषि भूमि के किला नम्बर 01 ता 20 सालम एवं किला नम्बर 21 ता 25 में प्रत्येक बीघा में दो दो बिस्वा भूमि में रास्ता आम है। उक्त कृषि भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 30.04.1994 को प्रार्थी के पिता गुरदयाल सिंह के नाम से जारी की गई थी जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उक्त कृषि भूमि गुरदयाल सिंह की स्व अर्जित कृषि भूमि थी, जिसे विक्रय करने, दान करने एवं वसीयत करने इत्यादि समस्त अधिकार गुरदयाल सिंह को प्राप्त थे। वसीयत में दर्ज कृषि भूमि को बाद पत्र में आयंदा विवादित कृषि भूमि दर्ज किया जायेगा। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 आपस में सगे भाई बहिन है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि प्रार्थी के पिता गुरदयाल सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी सभी सन्तानों की शादी कर दी थी तथा अपनी पुत्रियों को उनकी शादी में उनके हिस्सानुसार दान दहेज/नकदी आदि दे दिया था। गुरदयाल सिंह के तीनों पुत्र शादी के बाद अपने अपने परिवार सहित अलग अलग निवास करते आ रहे है। प्रार्थी का पिता गुरदयाल सिंह प्रार्थी के साथ ही निवास करता था तथा प्रार्थी ही उनकी सेवा चाकरी करता था। प्रार्थी के पिता गुरदयाल सिंह ने अपने जीवनकाल मे अपनी पारिवारिक व्यवस्था के तहत अपने नाम से आवंटित उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी के पक्ष मे 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि यानि चक 6 एल एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 के किला नम्बर 05, 6, 15 सालम, किला नम्बर 16 का 0.13 हैक्टर, किला नम्बर 21 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.18 हैक्टर, किला नं. –23 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.18 हैक्टर एवं किला नम्बर 25 का 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल 08 बीघा 03 बिस्वां कृषि भूमि की एक वसीयत दिनांक 26.02.2007 को अप्रार्थी सं.–01 ता 04 एवं अन्य वारिसान की सहमति से रू–ब–रू गवाहान तहरीर कर उप पंजीयक अनूपगढ से पंजीकृत करवा कर असल वसीयत प्रार्थी के सुपुर्द कर दी। प्रार्थी अपने पिता गुरदयालसिंह के देहांत के बाद वसीयत में दर्ज उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। गुरदयाल सिंह ने अपनी पुत्रियों के सम्बन्ध में वसीयत में यह लिखा कि **मिकर ने अपनी लड़कियों को जो कुछ भी देना था दे चुका हूं। मेरी लड़कियों का अब मेरी जायदाद से वास्ता नहीं है इत्यादि।** वसीयत की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। असल वसीयत वरवक्त साक्ष्य प्रस्तुत [illegible] दी जायेगी। प्रार्थी के पिता गुरदयाल सिंह द्वारा उपरोक्त वसीयत दिनांक 26.02.200[illegible] अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं अपनी अन्य पुत्रियों क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी की सहमति एवं जानकारी में ही प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाई थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं पक्षकारान की अन्य बहनें क्रमशः कश्मीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी को वसीयत दिनांक 26.02.2007 की जानकारी भली भांति थी लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं मृतक गुरदयाल सिंह अन्य पुत्रियों क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी ने आपस मे मिलीभगत करके उक्त कृषि भूमि का अपने नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा लिया जो प्रार्थी के अधिकारों पर आरम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है जबकि उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी के पिता के जीवन काल तक उनका कब्जा काश्त रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात् वसीयत में प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं एवं शेष रही कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष एक वाद पत्र बाबत रिलीज डीड दिनांक 13.04.2010 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने बाबत पेश किया था जिसे सिविल न्यायाधीश अनूपगढ द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2018 को आदेश पारित किया है जिसमें माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानते हुए चाराजोही करने का आदेश पारित किया है, जिसमें माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना है इसलिए प्रार्थी द्वारा अनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी अपने पिता गुरदयाल सिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादित कृषि भूमि का प्रार्थी सह कृषक बन चुका हैं तथा पंजीकृत वसीयत दिनांक 26.02.2007 के आधार पर उक्त विवादित कृषि भूमि के समस्त प्रकार के हक व अधिकार प्रार्थी में निहित हो चुके हैं फलस्वरू प्रार्थी पंजीकृत वसीयत दिनांक 26.02.2007 के आधार पर उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार कृषक के रूप में अंकन करवाने के विधिक अधिकारी एवं दावेदार हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं पक्षकारान की अन्य बहने क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 26. 02.2007 की भली भांति जानकारी थी लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 ने एवं पक्षकारान की अन्य बहनों क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी ने मिलीभगत करके गुरदयाल सिंह के नाम से आंवटित समस्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल स्वीकृत करवाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया जो भी प्रार्थी के अधिकारों पर आरम्भ से ही शून्य, अकृत व निष्प्रभावी है। तत्पश्चात् पक्षकारान की बहनें क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी ने बजरिए इन्तक[illegible] हुई अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि को जरिए दस्तबरदारी दिनांक 13.04.2010 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में छोड़ दी है जो प्रार्थी के अधिकारों पर आरम्भ से ही शून्य, अकृत एवं निष्प्रभावी है। जिस पर प्रार्थी को इल्म होने पर प्रार्थी ने जाति बिरादरी के व्यक्तियों की कई बार पंचायते कर वसीयत के आधार पर विवादित कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर ... जिला श्रीगंगानगर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण संख्या–01 ता 03 व अप्रार्थी संख्या 04 मृतका पजांबकौर के वारिसान हर बार बहानेबाजी कर टाल मटोल करते रहे तथा सद्भाविक रूप से समय व्यतीत होता रहा। आखिरकार आज से 5–7 दिन पूर्व पुनः अप्रार्थीगण संख्या–01 ता 03 व अप्रार्थी संख्या 04 मृतका पजांबकौर के वारिसान से मिलकर उनसे अनुरोध किया कि आप सभी वसीयत के आधार पर मुझ प्रार्थी के नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने में मेरा सहयोग करें तो इस पर अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए कहने लगे कि हम किसी पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 26.02.2007 को नही मानते और ना ही हम पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 26.02.2007 के आधार पर प्रार्थी के नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने में उसका सहयोग करेगें बल्कि हम शीघ्र ही उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र रहन बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगें। बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के विरूद्ध प्राप्त हुआ। प्रार्थी के पिता गुरदयाल सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 26.02.2007 की जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं पक्षकारान की अन्य बहने क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी को भली भांति है तथा गुरदयाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हिस्सेवार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी को वसीयत के आधार पर उसका हक ना मिले इसी अनुचित मकसद से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 एवं पक्षकारान की अन्य बहनें क्रमशः कश्मीर कौर, रणजीत कौर, शांति देवी व रामदेवी ने उक्त विवादित कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाकर उसकी आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने व उक्त विवादित कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान करके खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक ईरादे में कामयाब होकर विवादित कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान करके खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने हक व अधिकारों से बंचित हो जायेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा की एवज में भी नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि पर अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है तथा प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश करके निवेदन है कि ता फैसला वाद पत्र अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 विवादित कृषि भूमि अनूपगढ तहसील के चक 6 एल एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 किला नम्बर किला नम्बर 05, 06, 15 सालम, किला नम्बर 16 का 0.13 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किला नम्बर 21 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.18 हैक्टर, किला नं.–23 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.18 हैक्टर एवं किला नम्बर 25 का 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल 08 बीघा 03 बिस्वां खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त, अधिकार, अधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बेंजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्यत्र रहन, बैय, हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थी संख्या 05 व 06 को भी जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार बलाना उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में गुरदयालसिंह के नाम से कृषि भूमि होना स्वीकार है। शेष तथ्य रिकार्ड के अनुसार है जिसे सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। वसीयत झूठी, मनगढंत व फर्जी है। प्रार्थना पत्र मे गुरदयालसिंह की सेवा चाकरी सभी परिवारजनो ने की है। अकेले प्रार्थी ने सेवा चाकरी नही की है तथा गुरदयालसिंह का अपने परिवार के सभी सदस्यो से एक समान प्यार, प्रेम, स्नेह था। वसीयत फर्जी, कूटरचित व मनगढंत मक्खनराम द्वारा तैयार की गई है। जिसका कोई आधार नही है। ना ही प्रार्थी का उक्त रकबा पर कब्जा है। रकबा का इंतकाज सभी वारिसान के नाम से हो चुका है तथा उसी अनुसार सभी काबिज है। सिविल न्यायालय में प्रार्थी ने वाद पेश किया था जो दिनांक 21–8–2018 को खारिज हो गया था जिसकी प्रार्थी ने कोई अपील नहीं की है तथा सिविल न्यायालय का निर्णय अंतिम धवन है तथा सिविल न्यायालय की वसीयत को नहीं माना है। निर्णय दिनांक 21–8–2018 की प्रति है। प्रार्थी माननीय अदालत में दस्तबरदारी को चुनौती देने तथा वाद पेश करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का वसीयत के आधार पर कोई कब्जा नहीं है तथा खातेदार काश्तकार के खिलाफ वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible] एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 किला नम्बर किला नम्बर [illegible] 06, 15 सालम, किला नम्बर 16 का 0.13 हैक्टर, किला नम्बर 21 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.18 हैक्टर, किला नं.–23 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.18 हैक्टर एवं किला नम्बर 25 का 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल 08 बीघा 03 बिस्वां भूमि पर अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे वेजा मदाखलत करने,

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। पत्रावली पर विवादित भूमि सयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं ऐसी स्थिती में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 6 एल एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 किला नम्बर किला नम्बर 05, 06, 15 सालम, किला नम्बर 16 का 0.13 हैक्टर, किला नम्बर 21 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.18 हैक्टर, किला नं.–23 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.18 हैक्टर एवं किला नम्बर 25 का 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल 08 बीघा 03 बिस्वां की राजस्व मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 6 एल एस एम के मुरब्बा नम्बर 19, पत्थर नम्बर 308/390 किला नम्बर किला नम्बर 5, 6, 15 सालम, किला नम्बर 16 का 0.13 हैक्टर, किला नम्बर 21 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.18 हैक्टर, किला नं.–23 का 0.18 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.18 हैक्टर एवं किला नम्बर 25 का 0.18 हैक्टर इस प्रकार कुल 08 बीघा 03 बिस्वां पर प्रार्थी के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनू रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा **दिनांक** 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested